

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

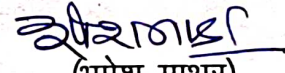
क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-549) अलेसे-1/2952-59

दिनांक:- 24/03/23

आदेश संख्या:-125/2022-23

श्री मितेश शाह उपकोषाधिकारी (सहायक लेखाधिकारी-1) को इस निदेशालय के आदेश संख्या 63/2022-23 दिनांक 31.08.2022 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चितरी, डुंगरपुर द्वारा प्रस्तुत कुटरचित वेतन ऐरियर बिल कुल राशि 26579438/- रुपये के अनियमित भुगतान के क्रम में राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निलम्बित किया गया था। उक्त क्रम में निदेशालय का ज्ञापन दिनांक 14.11.2022 जारी कर श्री शाह के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री शाह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखते हुए उन्हें निलम्बन से बहाल किया जाकर इस निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाता है। उनके निलम्बन काल एवं इसमें देय वेतन भत्तों आदि का निर्णय उनके विरुद्ध चल रही जांच के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-549) अलेसे-1/2952-59

दिनांक:- 24/03/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी उदयपुर (ग्रामीण)।
- 3 कोषाधिकारी डुंगरपुर।
- 4 श्री मितेश शाह, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, मुख्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण)।
- 5 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 7 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 8 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक-1 अनुभाग) कार्यालय हाजा।
- 9 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)